कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 1975 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक नवम्बर, 25 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित होने वाले 15.567है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 117639 / 2021)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–820 / 11–सी FP/UP/ROAD/117639/2021 दिनांक–25.09.2023,

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण मे आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक–22.09.2023 मे उल्लिखित कमियों का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1037 / रओबरा / 15 दिनांक 29.10.2023 एवं पत्र संख्या–1234 / ओबरा / 15 दिनांक 21.11. 2023 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा उल्लिखित बिन्दुओ का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म मे निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

क0 सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–820 / 11–सी–FP/UP/ROAD/117639/2021 दिनांक–25.09.2023	अनुपालन आख्या
आनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियॉः–		
1	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Gio Referenced Digitail Map & Sol Toposheet अपलोड है किन्तु सत्यापित नहीं है।	इस विन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर वनभूमि का सत्यापित Gio Referenced Digitail Map & Sol Toposheet अपलोड कर दिया गया है।
2	सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार से अतिकमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।	इस विन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वन भूमि मे वर्तमान मे अस्थाई घास–फुस की झोपडी बना हुआ है तथा मक्का, तिल, अरहर इत्यादि की खेती हुआ है प्रस्ताव मे सैन्द्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त प्रश्नगत गैर वन भूमि अतिकमण मुक्त कराकर वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा, एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	पावर ऑफ एटर्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि कमांक–ए–3 में श्री रमेश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कहीं पर श्री प्रशान्त यादव एवं कहीं पर श्री रमेश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।	इस विन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग 1 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल के कम संख्या 17 पर EDS Reply (Point No. 3) के नाम से अभिलेख अपलोड कर दिया गया है।

आनलाइन पार्ट–2 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर पायी गयी कमियॉ:–

1	ऑनलाइन क्रमांक–13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & SoI Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Gio Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digitail Map & SoI Toposheet आनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाइन क्रमांक–13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & SoI Toposheet अपलोड कर दिया गया है, परन्तु तकनिकी समस्या की वजह से ओपेन नहीं हो रहा है, इसलिए दुगने अवनत वन भूमि के Geo Referenced Digitail Map & SoI Toposheet को Additional information Details में अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑनलाइन क्रमांक 13(iv) में अपलोड प्राक्कलन 625 पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे आनलाइन से डिलिट कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण का संशोधित प्राक्कलन भाग 2 के क्रमांक 13(iv) में आन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 में उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशाधित हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 में संशोधित धनराशि का उल्लेख करते हुए, आनलाईन भाग 2 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल में अपलोड कर दिया गया है।
4	पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल आनलाईन भाग 2 के एडिशन इन्फार्मेशन डिटेल में अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या— 1975 अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा को सदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर